

भारत सरकार
गृह मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 335
दिनांक 04 फरवरी, 2025/ 15 माघ, 1946 (शक) को उत्तर के लिए

बिहार में शत्रु संपत्ति

+335. श्री अजय कुमार मंडल:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत पांच वर्षों के दौरान बिहार में शत्रु संपत्तियों का ब्यौरा और संख्या कितनी है तथा उनका वास्तविक स्थान, संपत्ति का स्वरूप, संपत्ति का विस्तार, उनके मूल्य का वर्तमान आकलन और उसके रख-रखाव पर कितना व्यय किया गया है;

(ख) क्या सरकार ने भागलपुर और बिहार के अन्य भागों में स्थित शत्रु सम्पत्तियों सहित देश में शत्रु सम्पत्तियों को बेचने अथवा पट्टे पर देने का कोई निर्णय लिया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार की बिहार के पटना में शत्रु संपत्तियों का क्षेत्रीय कार्यालय खोलने की कोई योजना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री बंडी संजय कुमार)

(क): बिहार में 94 शत्रु संपत्तियां हैं। बिहार में शत्रु संपत्तियों का ब्योरा अनुलग्नक में दिया गया है।

(ख): जी, हां। शत्रु संपत्ति अधिनियम, 1968 के तहत निकाले गए शत्रु संपत्ति निपटान आदेश, 2018 के दिशानिर्देशों के अनुसार, शत्रु संपत्तियों की बिक्री उस जिले के जिला मजिस्ट्रेट, जहां वह संपत्ति स्थित है, की अध्यक्षता में एक मूल्यांकन समिति द्वारा ऐसी संपत्ति का मूल्यांकन करके ई-नीलामी के जरिए की जाती है। जिला मजिस्ट्रेट द्वारा प्रस्तुत मूल्यांकन रिपोर्ट को अभिरक्षक द्वारा शत्रु संपत्ति निपटान समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है, जो शत्रु संपत्ति के निपटान अथवा शत्रु संपत्ति के निपटान के तरीके के संबंध में केंद्र सरकार को अपनी सिफारिशें देती है।

इसके अतिरिक्त, सरकार ने शत्रु संपत्ति से शीघ्रता से धन अर्जित करने (फास्ट ट्रैक मॉनिटाइजेशन) के लिए अनेक कदम उठाये गये हैं, जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं-

- i. दिनांक 25.04.2024 को अधिसूचना जारी की गई, जिसके अनुसार सभी जिला मजिस्ट्रेट पदेन उप-अभिरक्षक के रूप में, उप-जिला मजिस्ट्रेट सहायक-अभिरक्षक के रूप में तथा सीईपीआई के क्षेत्रीय कार्यालयों में तैनात उप-सचिव पदेन उप-अभिरक्षक के रूप में कार्य करेंगे।
- ii. बोली लगाने वाले को आकर्षित करने के लिए बोली-पूर्व अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट (ईएमडी) को 10% से घटाकर 5% किया गया है एवं विक्रय मूल्य की भुगतान अवधि को 21 दिन से बढ़ाकर 120 दिन किया गया है।
- iii. 7.33 करोड़ शत्रु शेयरों (चल शत्रु संपत्ति) को 2,741.05 करोड़ रुपये में बेचा गया।
- iv. ऑनलाइन किराया संग्रह पोर्टल शुरू किया गया और 1,58,82,487 रुपये का किराया प्राप्त हुआ (दिनांक 29.01.2025 तक)।
- v. 256 संपत्तियों के लिए लगाई गई 24 ई-नीलामियों में 150.62 करोड़ रुपये की बोलियां प्राप्त हुईं।
- vi. यदि किसी शत्रु संपत्ति के लिए तीन ई-नीलामियों के दौरान कोई भी बोली प्राप्त नहीं होती है, तो उसके आरक्षित मूल्य में 10% की कमी करके फिर से ई-नीलामी के लिए रखा जाएगा।
- vii. यदि किसी कब्जा की हुई ग्रामीण शत्रु संपत्ति का जिला मूल्यांकन समिति [डीवीसी] द्वारा निर्धारित मूल्य 1 करोड़ रुपये से कम है, तो उस संपत्ति पर प्रमाणिक रूप से काबिज व्यक्ति को वह संपत्ति बेचने की पेशकश की जा सकती है।
- viii. यदि किसी कब्जा की हुई शहरी शत्रु संपत्ति का जिला मूल्यांकन समिति [डीवीसी] द्वारा निर्धारित मूल्य 5 करोड़ रुपये से कम है, तो उस संपत्ति पर प्रमाणिक रूप से काबिज व्यक्ति को वह संपत्ति बेचने की पेशकश की जा सकती है।

(ग): जी, नहीं।

लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 335 दिनांक 04.02.2025

अनुलग्नक

क्रम संख्या	जिला	संपत्ति का सटीक स्थान	संपत्ति की प्रकृति	संपत्ति का परिमाण (वर्ग मीटर)
1	गया (8 प्लॉट)	अनुमण्डल-सदर तहसील/अंचल-बोधगया(13) ग्राम/मौजा-मोरा मर्दाना (2197) थाना संख्या/राजस्व थाना संख्या-411 तौजी संख्या 4548/12438 खाता संख्या 59 (पुराना), 4 (नया)	कृषि भूमि/दुकान	1659.211
2			कृषि भूमि	16834.92
3			कृषि भूमि	
4			कृषि भूमि	
5			कृषि भूमि	
6			कृषि भूमि	
7			कृषि भूमि	
8			कृषि भूमि	
9	कटिहार (17 प्लॉट)	अनुमण्डल-बारसोई तहसील/अंचल-बारसोई ग्राम/मौजा-आबादपुर (70), प्रमाणिक टोला प्राधिकरण आदेश दिनांक 26.02.2010 खाता संख्या 558	कृषि भूमि	2549.52
10			कृषि भूमि	1375.931
11			कृषि भूमि	
12			कृषि भूमि	
13			कृषि भूमि	
14			कृषि भूमि	
15			कृषि भूमि	
16			कृषि भूमि	1375.931
17			कृषि भूमि	
18			कृषि भूमि	
19			कृषि भूमि	
20			कृषि भूमि	1659.211
21			कृषि भूमि	
22			कृषि भूमि	
23			कृषि भूमि	
24			कृषि भूमि	11 कट्टा 7 धुर
25			कृषि भूमि	
26	खगरिया (04 प्लॉट)	अनुमंडल-खगड़िया तहसील/अंचल-खगड़िया पीएस-खगड़िया मौजा/गांव-हाजीपुर थाना संख्या 267	स्कूल/मंदिर /गौशाला/उद्यान	1 बीघा 14 कट्टा 17 धुर
27			पक्का/अर्ध-पक्का भवन/गौशाला/सड़क	11 कट्टा 7 धुर
28			पक्का/अर्ध-पक्का भवन/गौशाला/सड़क	1 बीघा 14 कट्टा 17 धुर
29			कृषि भूमि/टिनशेड /अर्ध पक्का	4 बीघा 5 कट्टा 10 धुर

लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 335 दिनांक 04.02.2025

अनुलग्नक (पृष्ठ-2)

30	मुजफ्फरपुर (07 प्लॉट)	अनुमंडल-मुजफ्फरपुर पूर्वी परगना-बिसारा तहसील/अंचल-मुसहरी (001) पी.एस-मुंसिफी टाउन मोहल्ला- चंदवारा मौजा- कन्हौली विष्णुदत्त (1791) थाना संख्या 411 वार्ड संख्या 16 मोहल्ला-चंदवारा म्यूनिसिपल होल्लिंग संख्या 236 (पुराना), 301 (नया)	आवासीय	510 (3 कट्टा 3 ½ धुर अथवा .0510 हेक्टेयर)
31		अनुमंडल- तहसील/अंचल- मुसहरी पी.एस- काजी मुहम्मदपुर गांव- छपरा लोदी उर्फ मारीपुर मोहल्ला- मारीपुर थाना संख्या 352 नगर पालिका वार्ड संख्या 5 खाता संख्या 224 आरएसपी संख्या 595 और 596	आवासीय	1 बीघा 5 कट्टा 7 धुर
32			आवासीय	
33			आवासीय	
34			आवासीय	
35			आवासीय	
36			आवासीय	
37	पटना (04 प्लॉट)	तहसील-सदर गढ़ुआ टोला पी.ओ-महेंद्र पी.एस.सुल्तानगंज मोहल्ला दरगा शाह अरजानी वार्ड संख्या 50, पटना नगर निगम, सर्किल का नाम-बांकीपुर सर्किल, पिन-800006	आवासीय	3 कट्टा (9.25 डेसिमल)

अनुलग्नक (पृष्ठ-3)

38		वार्ड संख्या 5 सर्किल संख्या 20 मोहल्ला-कदमकुआं, जहाजी कोठी पटना-800003 भाग 1 – नई होल्लिंग संख्या -161	आवासीय	
39		वार्ड संख्या 5 सर्किल संख्या 20 मोहल्ला-कदमकुआं, जहाजी कोठी पटना-800003 भाग 2 – नई होल्लिंग संख्या -165	आवासीय	17000 वर्ग फुट होल्लिंग संख्या 144 (पुराना)
40		तहसील/अंचल-सदर पी.एस-सुल्तानगंज पी.ओ-महेंद्रु मोहल्ला-बक्सरिया टोला, पटना नगर निगम अंचल संख्या 47, वार्ड संख्या 14 (पुराना) पटना-800006	आवासीय	2 कट्टा 13 धुर
41	समस्तीपुर (54 प्लॉट)	पीएस-समस्तीपुर गांव: केवास निजामत	कृषि भूमि	0-0-18 (बीघा-काठा-धुर)
42			कृषि भूमि	0-3-13
43			कृषि भूमि	0-2-2
44			कृषि भूमि	0-0-05
45			कृषि भूमि	0-2-01
46			कृषि भूमि	0-0-14
47			कृषि भूमि	0-1-07
48			कृषि भूमि	0-2-06
49			कृषि भूमि	0-0-09
50			कृषि भूमि	0-2-01
51			कृषि भूमि	0-1-17
52			कृषि भूमि	0-1-07
53			कृषि भूमि	0-0-07
54			कृषि भूमि	0-0-11
55			कृषि भूमि	0-1-0
56			कृषि भूमि	0-1-06
57			कृषि भूमि	0-1-03
58			कृषि भूमि	0-0-15
59			कृषि भूमि	0-1-09
60			कृषि भूमि	0-1-07
61			कृषि भूमि	0-0-03
62			कृषि भूमि	0-1-07
63			कृषि भूमि	0-1-07

लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 335 दिनांक 04.02.2025

अनुलग्नक (पृष्ठ-4)

64		कृषि भूमि	0-0-16
65		कृषि भूमि	0-1-07
66		कृषि भूमि	0-1-07
67		कृषि भूमि	0-0-03
68		कृषि भूमि	0-0-15
69		कृषि भूमि	0-1-0,
70		कृषि भूमि	0-0-15
71		कृषि भूमि	0-1-12
72		कृषि भूमि	0-0-02
73		कृषि भूमि	0-0-14
74		कृषि भूमि	0-1-17
75		कृषि भूमि	0-1-02
76		कृषि भूमि	0-1-06
77		कृषि भूमि	0-2-15
78		कृषि भूमि	0-1-17
79		कृषि भूमि	0-2-06
80		कृषि भूमि	0-1-03
81		कृषि भूमि	0-0-14
82		कृषि भूमि	0-0-09
83		कृषि भूमि	0-1-05
84		कृषि भूमि	0-1-0
85		कृषि भूमि	0-1-03
86		कृषि भूमि	0-1-01
87		कृषि भूमि	0-1-10
88		कृषि भूमि	0-0-09
89		कृषि भूमि	0-2-08
90		कृषि भूमि	0-0-06
91		कृषि भूमि	0-2-06
92		आवासीय /एक भाग में निर्माण	0-1-12
93		कृषि भूमि	
94		कृषि भूमि	
